



Neutral Citation No. -2026: AHC:179653

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30022/2026

आनंद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: मोहन सिंह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. श्री उत्कर्ष त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में सूचनाकर्ता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक की ओर से श्री मोहन सिंह के होल्डिंग ब्रीफ विद्वान अधिवक्ता, श्री दिनेश कुमार तिवारी, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री उत्कर्ष त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री इमरान खान को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 0243/2026, अंतर्गत धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 125, 115(2), 352 बीएनएस, थाना- धनघटा, जनपद- संत कबीर नगर में आवेदक को विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, आवेदक निर्दोष है और सामान्य आरोपों के आधार पर उसे वर्तमान मामले में सात अन्य नामजद अभियुक्तों के साथ आरोपी बनाया गया है तथा सह-अभियुक्त कमलेश, सन्नी और बब्बी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उनके जमानत आदेश वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं तथा तथ्यों के आधार पर आवेदक का मामला भी उनके समान है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मृतक को केवल दो चोटें आई थीं, जिससे यह मामला अधिक लोगों को आरोपी बनाए जाने का प्रतीत होता है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 05.05.2026 से जेल में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत का जोरदार विरोध किया और कहा कि आवेदक ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त कमलेश, सन्नी और बब्बी की जमानत इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विस्तृत एवं कारणयुक्त आदेश के माध्यम से मंजूर की जा चुकी है तथा आवेदक का मामला भी उनके समान है।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
8. तथापि, आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है लेकिन यह प्रकट होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट कुल आठ नामजद अभियुक्तों, जिनमें आवेदक भी शामिल है, तथा 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है। अभिलेख से आगे यह पता चलता है कि आवेदक के साथ सह-अभियुक्त कमलेश, सन्नी और बब्बी को भी आरोपी बनाया गया था और उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा मामले के तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक का मामला भी उनके समान प्रतीत होता है।
9. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रतीत होता है, मृतक को केवल दो चोटें आई थीं, जबकि अभियोजन के अनुसार उस पर दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था, अतः, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि प्रथम दृष्टया यह अधिक लोगों को आरोपी बनाए जाने का मामला प्रतीत होता है, इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता।
10. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 5.05.2026 से जेल में है।
11. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।
12. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
13. आवेदक- **आनंद** को उपर्युक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 25, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)